आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

03/4/23

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की,विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर०वाद सं०-18/2022-23

एतवा उराँव, पिता स्व० झिरगा उराँव,
निवासी धनई सोसो, नियर एस०डी०एम०स्कूल,
पो०—कमडे, थाना—रातु, जिला—राँची। ... प्रथम पक्ष

बनाम

(1) उमा शंकर चौबे, (2) हरेराम चौबे, दोनो के
पिता सीताराम चौबे, निवास स्थान—इन्दपुरी रोड
नं०—6, थाना—सुखदेवनगर, जिला राँची। ...द्वितीय पक्ष

आदेश

प्रथम पक्ष एतवा उराँव, पिता स्व० झिरगा उराँव, निवासी धनई सोसो, नियर एस०डी०एम०स्कूल, पो० कमडे, थाना रातु, जिला राँची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम—1908 की धारा—71"A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु यह वाद दायर किया गया है। प्रथम पक्ष ने आरोप लगाया है कि उनकी निम्नांकित जमीन द्वितीय पक्षगण (1) उमा शंकर चौबे, (2) हरेराम चौबे, दोनों के पिता सीताराम चौबे, निवास स्थान—इन्दपुरी रोड नं०—6, थाना—सुखदेवनगर, जिला—राँची द्वारा छल प्रपंच से हड़पकर दखल कर लिया है।

जमीन का विवरण

ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा
हेसल	202	51	983	10 डी०

प्रथम पक्ष ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत जमीन रिवीजनल सर्वे खतियान मे शुकरा उराँव वो झिरगा उराँव के नाम दर्ज है।

प्रथम पक्ष अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। द्वितीय पक्षगण ने उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बिना ही छल—प्रपंच से जबरन जमीन पर कब्जा कर प्रथम पक्ष को बेदखल कर दिया है।

3/4/23

कृ०पृ०उलटे

इसी को आधार मानते हुए कारण पृच्छा प्रस्तुत करने हेतु उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया, तथा संबंधित अंचल अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

प्रथम पक्ष अपने लिखित ब्यान में कहा है कि वर्णित भूमि आर.एस.खतियान में शुकरा उराँव वो झिरगा उराँव वल्द बिरसा उराँव के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत सुकरा उराँव अपने पीछे दो पुत्र बिगल उराँव और सिरू उराँव को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। सिरू उराँव नवल्द मृत्यु हो गये। बिगल उराँव अपने पीछे सुकुल उराँव को छोड़ गये। सुकूल उराँव भी अपने पीछे कार्तिक उराँव, लगरू उराँव और भोभा उराँव को छोड़ गये। खतियानी रैयत झिरगा उराँव अपने पीछे बेला उराँव, बिरसा उराँव, एतवा उराँव (आवेदक) और भोला उराँव को छोड़ गये है।

द्वितीय पक्षगण को पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और अपने जवाब के संबंध कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया। अतः उपलब्ध साक्ष्य एवं जाँच प्रतिवेदन के आधार पर वाद को आदेश पर रखा गया।

प्रथम पक्ष के आवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रश्नगत जमीन खतियान में आदिवासी रैयत के नाम कायमी दर्ज है और प्रथम पक्ष अपनी खतियानी भूमि है। द्वितीय पक्षगण छोटानागपूर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानो का उल्लंघन कर प्रश्नगत जमीन पर दखलकार है। आदिवासी रैयत की जमीन गैर आदिवासी को अहस्तान्तरणीय है।

अंचल अधिकारी, अरगोड़ा के पत्रांक–12(ii) दिनांक–05.01.2023 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत जमीन खतियान में सुकरा उराँव वगै. के नाम दर्ज है। पंजी II में सुकरा उराँव वगै. वल्द बिरसा उराँव के नाम दर्ज है। प्रश्नगत भूमि पर द्वितीय पक्षगण विगत 10 वर्षो से दखलकार है। द्वितीय पक्षगण ने जमीन एकरारनामा से किया।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि द्वितीय पक्षगण आदिवासी रैयत की खतियानी कायमी जमीन पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46 का उल्लंघन कर नाजायज एवं गैरकानुनी रुप से दखलकार है।

13/4/23

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71"A" के अंतर्गत प्रश्नगत जमीन से द्वितीय पक्षगण को बेदखल करते हुए जमीन प्रथम पक्ष को वापस किया जाता है, तथा द्वितीय पक्षगण को आदेश दिया जाता है कि यदि प्रश्नगत भूमि पर कोई संरचना हो तो 03 माह के अंदर हटा लें।

तदनुसार अंचल अधिकारी, हेहल को दखल देहानी हेतु आदेश निर्गत करें कि यदि प्रश्नगत भूमि पर कोई संरचना निर्मित हो तो उसे हटाने हेतु प्रावधानुसार द्वितीय पक्षगण को पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए प्रथम पक्ष सहित प्रथम पक्ष के अन्य वैध वंशजो को दखल दिलाना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।
(ह० 3/4/23)

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।
(ह० 3/4/23)

ज्ञापांक — 86 (ii) दिनांक — 08/05/23
प्रतिलिपि :— अंचल अधिकारी हेहल को प्रश्नगत भूमि पर दखल देहानी हेतु प्रेषित।

(ह० 8/5/23)
विशेष पदा०

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2024.12.09 11:31:20 +05:30
Location: 192.168.51.130